प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा **थाना**....... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर

प्र0सू0रि0संख्या ....315/2023 **दिनांक**.......29/12/23

2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)धारा–7

(2) अधिनियम– ....

(3) अधिनियम..**धारायें** –..

(4) अन्य अधिनियम धारायें...

3.(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.........1160..................**समय**..............3.40 P.M....

(ब) अपराध घटने का दिन ... सोमवार....दिनांक....20.05.2023

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 20.05.2023 समय 11.50 एएम

4.सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट

5. घटना स्थलः–बाबू टी स्टाल स्टेशन रोड कोटा

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब चौकी कोटा से उत्तर दिशा में करीब 4 कि.मी.

(ब) 'पताः– बाबू टी स्टाल स्टेशन रोड कोटा

जरायम देही संख्या......................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना –

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः–श्री गजेन्द्र सिंह

(ब) पिता का नाम– श्री नन्द सिंह

(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 48 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.–भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या..**जारी होने की तिथी**................

जारी होने की जगह...

(र)व्यवसाय–व्यवसाय

(ल) पता – निवासी बबूलिया पोस्ट बम्बूलिया तहसील पीपल्दा कोटा मोबाईल नं. 9460173175

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

(1) श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री माडूराम जाति यादव उम्र 29 निवासी कानपुरा पोस्ट खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

8.परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–.............................. शून्य..

9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).

10.चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....5000/– रूपये..

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय

निवेदन है कि दिनांक 20.05.2023 को समय 11:50 ए.एम श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत उम्र 48 साल निवासी बम्बूलिया पोस्ट बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा मोबाईल नम्बर–94601–73175 ने ब्यूरो कार्यालय कोटा पर स्वयं उपस्थित होकर श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा स्वय द्वारा हस्तलिखित होना एवं प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि मैं ग्राम बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा का रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत बम्बूलिया खुर्द में मेरी उचित मूल्य की दुकान है, जिला रसद अधिकारी के द्वारा जनवरी 2023 में मेरी राशन की दुकान का लाईसेन्स सस्पेन्ड कर दिया था, इस पर मैं जिला रसद अधिकारी कोटा के ऑफिस में श्री कृष्ण कुमार यादव इंसपेक्टर से मिला तो

उन्होने मेरे लाईसेन्स बहाल करने के लिये दस हजार रूपये मांगे थे। जिला रसद अधिकारी कोटा के लाईसेन्स बहाल करने की सूचना जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार यादव ईन्सपेक्टर ने मेरे मोबाईल पर कॉल कर दी थी, उन्होनें कहा कि आपकी दूकान का लाईसेन्स बहाली का आदेश मेरे पास है एवं आप अपनी दूकान की पॉश मशीन बम्बूलिया के दूसरे डीलर श्री शंकर लाल से लेकर राशन वितरण का काम चालू कर दो। मैने श्री शंकर लाल से पोश मशीन लेकर 04 मई 2023 से राशन वितरण का काम शुरू कर दिया। मेरी दुकान बहाल होने के बाद श्री कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर ने बार बार फोन करके कोटा मिलने के लिये आने के लिये कहा, जब मैं पिछले सोमवार दिनांक 15.05.2023 को मेरी दुकान के लाईसेन्स की बहाली का आदेश लेने एवं श्री कृष्ण कुमार से मिलने कोटा आया था। जिला रसद कार्यालय में इन्सपेक्टर कृष्ण कुमार नहीं मिले तो मैने उनसे मोबाईल पर कॉल किया तो उन्होनें शिविर में सीमलिया जाना बताया था तथा मुझे कोटा ही मिलने के लिये रूकने को कहा था, इन्सपेक्टर कृष्ण कुमार बहुत देर तक कोटा नहीं आया तो मैं मेरे गांव के लिये रवाना हो गया था। मेरे कोटा से रवाना होने के बाद मेरे पास इन्सपेक्टर कृष्ण कुमार का फोन आया था,उन्होने मुझसे नाराज हाते हुये कहा कि आप बिना मिले ही चले गये, मैनें आपका काम करवा दिया फिर भी आप बिना मिले ही चले गये । इन्सपेक्टर कृष्ण कुमार मुझसे पहले मांगी गई रिश्वत राशि 10,000/–रूपये प्राप्त करने के लिये मुझ पर दबाव बना रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री कृष्ण कुमार इन्सपेक्टर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं, मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधि में आना पाया जाने पर: परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर, कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा एसीबी को पेश प्रार्थना पत्र श्री अजीत बगडौलिया पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये। परिवादी ने पेश प्रार्थना पत्र एवं परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर पुलिस निरीक्षक को बताया कि कृष्ण कुमार इन्सपेक्टर ने मुझे अभी बाबू टी स्टॉल स्टेशन रोड कोटा जक्शन बुलाया है, वो वहां मुझसे रिश्वत संबंधी वार्ता करेगा। मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण की परिधी में आने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड को निकलवाकर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू बन्द करने की प्रक्रिया को भलीभांति समझाकर आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर से होने वाली रिश्वत मांग संबंधी वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु सुपूर्द किया गया। परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह का परिचय श्री बृजराज सिंह कानि 159 से करवाया जाकर परिवादी को मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के बताये स्थान के लिये रवाना किया गया। श्री बृजराज सिंह कानि. 159 को निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी के हमराह मोटर साईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद समय 02.25 पी.एम. परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह मय श्री बृजराज सिंह कानि.159 के साथ कार्यालय हाजा उपस्थित आया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बन्द हालात में पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं एवं आपके कार्यालय के श्री बृजराज सिंह कानि.159 मोटर साईकिल से आपके कार्यालय से रवाना हो आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव के बताये अनुसार बाबू टी स्टॉल स्टेशन रोड कोटा के पास पंहुचे, जहां श्री बृजराज सिंह कानि. ने मुझे उतार दिया तथा वो वहीं रूक गये थे। मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर आरोपी कृष्ण कुमार के बताये अनुसार बाबू टी स्टॉल स्टेशन रोड कोटा जंक्शन के लिये रवाना हो गया था। मैने बाबू टी स्टॉल पर पंहुचकर कृष्ण कुमार इन्सपेक्टर का इन्तजार किया, कुछ देर बाद श्री कृष्ण कुमार टी स्टॉल पर आया। उसने मुझसे मेरी दुकान बहाल के संबंध में वार्ता कर दुकान बहाल करवाने के एवज में 10000/–रूपये की मांगकर 5000/–रूपये ले लिये तथा शेष 5000/–रूपये दिनांक 25.05.2023 को पीपल्दा में लगने वाले शिविर में आने एवं वहीं शेष 5000/–रूपये लेने के बारे में कहा है। कृष्ण कुमार इन्सपेक्टर के वहां से जाने के बाद मैं वहां से रवाना हो श्री बृजराज सिंह के पास आकर मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर लिया था। इसके बाद मैं एवं श्री बृजराज सिंह जी वहां से रवाना हो उपस्थित आये है। मेरे तथा श्री कृष्ण कुमार इन्सपेक्टर के बीच होने वाली समस्त वार्ता डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हो गई है। श्री बृजराज सिंह कानि.159 ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह के कथनों की पुष्टि हुई। श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित मालखाना रखवाया

गया। प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से मुर्तिब की गई। परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह ने बताया है कि आरोपी कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर ने रिश्वत के 5000/–रूपये दिनांक 25.05.2023 को पीपल्दा शिविर में आने पर लेने के बाबत् कहा है। इसलिये परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह को दिनांक 25.05.2023 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/–रूपये लेकर कार्यालय पर आने की एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत कर समय 03.50 पी. एम. पर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया।

दिनांक 27.05.2023 समय 4.00 पीएम पर श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह कॉल आया व परिवादी ने बताया कि आरोपी केम्प में नहीं आया हैं ना ही उसने मुझसे सम्पर्क किया है। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा सम्पर्क करने या उसका कॉल आने पर तुरंत सूचित करें।

दिनांक 24.06.2023 समय 2.00 पी.एम. समय काफी हो जाने के कारण श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझसे अभी तक सम्पर्क नहीं किया है। उसके द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त आपको सूचित कर दूंगा। मैं अभी आवश्यक कार्य से व्यस्त होने के कारण आपके कार्यालय नहीं आ सकता समय मिलने पर आपके कार्यालय आ जाउंगा। परिवादी को शीघ्र कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई।

दिनांक 31.07.2023 समय 12.45 पी.एम. परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आया । परिवादी ने श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आवश्यक कार्य से व्यस्त होने के कारण मैं आपके कार्यालय पर उपस्थित नहीं आ सका था। आज आया हूँ, आरोपी ने मुझसे ना तो कॉल किया है। ना ही किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नहीं किया है। मैं आज उससे मिलने उसके ऑफिस जाउगां । वह आज आरोपी मुझसे पूर्व में मांगी रिश्वत राशि ग्रहण कर सकता है। परिवादी ने बताया है कि आरोपी आज उससे पूर्व में मांगी रिश्वत ग्रहण कर सकता है इसलिये समय 12.50 पी.एम. गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल विकास परियोजना खण्ड कोटा के नाम कार्यालय हाजा के पत्रांक 1858 दिनांक 31.07.2023 तहरीर दी जाकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री बृजराज सिंह कानि 159 को दी जाकर कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल विकास परियोजना खण्ड कोटा रवाना किया गया। श्री बृजराज सिंह कानि 159 समय 1.30 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो कार्मिक श्री संजय कुमार वर्मा पुत्र श्री मदन लाल वर्मा जाति प्रजापति उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 06 चित्रगुप्त कोलोनी जीएडी सर्किल कोटा पुलिस थाना आरके पुरम कोटा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा मोबाईल नम्बर 9461399773 एवं श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव जाति अहीर उम्र 30 साल निवासी ग्राम अनंतपुरा पोस्ट दिवराला पुलिस थाना अजीत गढ तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा मोबाईल नम्बर 8005872992 को हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया । उपरोक्त दोनों कार्मिको से श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही से अवगत करवाया गया एवं ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों कार्मिकों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने की मौखिक सहमति दी। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा एसीबी को पेश किये गये प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया दोनों स्वतंत्र गवाहों ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। फिर समय 01.50 पी.एम. परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार वर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक की मौजूदगी में श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बृजराज सिंह कानि 159 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों गवाहान को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 20.05.23 को परिवादी व आरोपी कृष्ण कुमार के मध्य रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा लिया गया है। उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया था। श्री बृजराज सिंह कानि 159 द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लपटॅप में अटैच करवाया जाकर रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को लेपटॅप में लेकर दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी को लेपटॉप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया। उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज

आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा की होना बताया । उक्त वार्ता की श्री बृजराज सिंह कानि 159 से दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष हुबहू लेपटॉप में टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवायी गई । फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो आरोपी निरीक्षक कृष्ण कुमार ने परिवादी का कॉल नहीं उठाया । परिवादी ने बताया कि ज्यादा कॉल करने से उसको शक हो सकता है। आरोपी कल ऑफिस में मिल जाएगा। वह वहां मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण कर लेगा। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। चूंकि परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह ने कल कार्यवाही होने की संभावना जाहिर की है, इसलिए परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/– रूपये लेकर आने कल 11.00 ए.एम. पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी 11.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत कर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया।

दिनांक 01.08.2023 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आया । परिवादी ने बताया है कि अभी थोडी देर पहले मैनें आरोपी कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर को कॉल किया एवं मेरे कोटा आने एवं मिलने के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मैं आज ऑफिस में ही हूं। परिवादी ने श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को बताया कि वह आज मुझसे अपने कार्यालय में रिश्वत राशि ग्रहण कर लेगा। मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/–रूपये लेकर आया हूं। समय 11.10 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री संजय कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को जर्ये टेलिफोन कॉल कर तुरन्त कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत की गई, तो गवाह श्री संजय कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने पुलिस निरीक्षक को बताया कि मुझे अचानक अति आवश्यक काम आ गया था, इसलिये मैं अजमेर आ गया हूं। मैं आज कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकता। इस पर अधिशाषी अभियंता चम्बल विकास परियोजना खण्ड कोटा श्री भारत रत्न गौड से जर्ये मोबाईल वार्ता कर श्री संजय कुमार वर्मा के अवकाश पर होने के कारण गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार वर्मा के स्थान पर दूसरा कार्मिक भिजवाने के लिये बताया गया तो उन्होने बताया कि आप लेटर भिजवा दो मैं दूसरा कार्मिक भेजता हूं। इस पर अधिशाषी अभियंता चम्बल विकास परियोजना खण्डा कोटा के नाम श्री संजय कुमार वर्मा के स्थान पर दूसरा कार्मिक भिजवाने हेतु पत्रांक एसपीएल 01 दिनांक 01.08.2023 जर्ये व्हाट्स एप प्रेषित किया गया। समय 11.40 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक मय श्री शंकर लाल कुल्हरी पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति जाट उम्र 32 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मिण्डा पुलिस थाना मारोठ तहसील नावां जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा मोबाईल नम्बर 72908–33163 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री शंकर लाल कुल्हरी से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की गई कार्यवाही एवं की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो श्री शंकर लाल कुल्हरी ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने में सहमति दी। श्री शंकर लाल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा एसीबी को पेश किये गये प्रार्थना पत्र को श्री शंकर लाल को पढकर सुनाया गया, जिसे पढकर श्री शंकरलाल अपने हस्ताक्षर किये। समय 12.00 पी.एम.पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत उम्र 48 साल निवारी बम्बूलिया पोस्ट बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने अपने पास से निकाल कर 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/–रूपये श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया जाकर श्रीमती सरोज म.कानि. 104 से कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखवार के उपर रखकर नोटों पर सावधानीपूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री गजेन्द्र सिहं की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार से लिवाई जाकर,परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह के पास उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिवश्त में दी जाने वाली पाउडर लगे हुये पांच हजार रूपये को श्रीमती सरोज म.कानि. 104 से सीधे ही परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाया गया। इसके बाद एक कांच

के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती सरोज कानि. 104 के पावडर लगे हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टान्त को गवाहान एवं परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुएगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल मे धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखवार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी को श्रीमती सरोज महिला कानि. 104 द्वारा वापस मालखाने में रखवाया गया। श्रीमती सरोज म.कानि. 104 के हाथ एवं दृष्टांत कार्यवाही में प्रयुक्त गिलास को साबुन पानी से धुलवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले गिलास व शीशीयों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वती राशि निकालकर देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के काम के बारे मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेर कर ईशारा करें। दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया कि रिश्वत के लेनदेन को यथा संभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। मालखाने मे रखे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड को मालखाने से निकलवाया जाकर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह को दिया जाकर चालू व बन्द करने की विधि पुनः समझायी गयी एवं वक्त रिश्वत के लेनदेन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश की गई। स्वतंत्र गवाहान् एवं ट्रेप पार्टी के परस्पर तलाशी लिवायी जाकर परिवादी को छोडकर सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाया गया। श्रीमती सरोज महिला कानि. 104 को कार्यालय हाजा पर उपस्थित रहने की हिदायत की गई। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढकर सुनाई जाकर संबधितों को हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.35 ए.एम. पर श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री गजेन्द्र सिह मय स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री शंकर लाल कनिष्ठ सहायक एवं जाप्ता श्री बृजराज सिंह कानि. 159, श्री मुकेश कुमार कानि. 71, श्री देवेन्द्र सिहं कानि 305 के मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहनों से ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी के कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के लिये रवाना हुआ। समय 12.45 पी.एम.पर श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ते के कार्यालय से रवाना हो जिला कलेक्ट्रेट कोटा के मैन गेट के पास पहुँचे, जहां परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू करवाया जाकर परिवादी को आरोपी श्री कृष्ण कुमार निरीक्षक के पास कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के लिए रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे श्री बृजराज कानि 159 व श्री मुकेश कुमार कानि 71 को पैदल पैदल रवाना किया गया। पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बागडोलिया मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे पीछे प्राईवेट वाहनों से आरोपी के कार्यालय के सामने वाहन पार्किंग में पहूंचे । परिवादी ने आरोपी के कार्यालय में प्रवेश किया तथा पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व अन्य जाप्ते के ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में प्राईवेट वाहन में ही मुकीम हुआ। समय 01.10 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बिना कोई ईशारा किए आरोपी के कार्यालय से बाहर निकालकर पार्किंग एरिया में श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक के पास आया एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद अवस्था में पेश कर बताया कि मैं जिला रसद अधिकारी कोटा में गया तो श्री कृष्ण कुमार निरीक्षक वहां उपस्थित नहीं मिले । मैंने स्टाफ के अन्य कर्मचारियों से इस बाबत जानकारी की तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण कुमार निरीक्षक फील्ड में गये हुये है। इस पर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया । मैंने वहां से बाहर आकर डिजीटल वॉइस रिकार्डर बंद कर लिया था। इस पर पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स प्राईवेट वाहनों से पार्किंग एरिया से कार्यालय हाजा के लिए रवाना हुआ। श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स प्राईवेट वाहनों से पार्किंग एरिया से रवाना हो समय 01.20 पी.एम. पर कार्यालय हाजा पहुँचा जहां श्री देवेन्द्र सिंह कानि 304 से ट्रेप बॉक्स से एक सफेद लिफाफा निकलवाया जाकर स्वतंत्र गवह श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पहने हुई पेंन्ट की सामने की बांयी जेब में रखे रिश्वत राशि 5000/— रूपये को निकलवाया जाकर लिफाफे में रखवाया जाकर रिश्वत राशि के लिफाफे एवं डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर ट्रेप बॉक्स को श्री देवेन्द्र सिंह कानि 304 से मालखाना खुलवाया जाकर सुरक्षित

मालखाने में रखवाया गया। आज ट्रेप की संभावना नहीं होने के कारण समय 2.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार यादव एवं श्री शंकर लाल कुल्हरी मोबाईल पर सूचना देने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोनीयता बरतने की हिदायत कर एवं परिवादी को आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत कर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया।

श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कोटा रेंज कोटा में होने के उपरान्त प्रकरण की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक देशराज के जिम्मे की गई । दिनांक 17.10.2023 को समय 02:30 पी.एम पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह उम्र 48 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम मन देशराज पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा मुझसे अब पैसो के संबंध में वार्ता नही कर रहा है ना ही वह मुझसे पैसे मांग रहा है। मुझे लगता है उसको मुझ पर शक हो गया है। इसलिये वह मुझसे अब रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा। मेरे द्वारा दिनांक 01.08.2023 को एसीबी को पेश रिश्वत राशि मुझे वापस लोटाने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार ने मन देशराज पुलिस निरीक्षक को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 01.08.2023 समय 02:40 पी.एम पर एसीबी को पेश रिश्वत राशि वापस लोटाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिये उक्त ट्रेप कार्यवाही के पूर्व से पाबंदशुदा गवाह श्री शंकर लाल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा को जर्ये मोबाईल फोन कर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु बताया गया। जिस पर गवाह श्री शंकर लाल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा समय 02.50 पी.एम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। इसके बाद परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह द्वाराएसीबी को पेश रिश्वत राशि वापस लोटाने बाबत् दिये गये प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढवाया गया। दोनो गवाहान् प्रार्थना पत्र पढ कर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह के समक्ष, परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फिर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व में एसीबी को पेश रिश्वत राशि 5000/–रूपये एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जो मालखाने में सुरक्षित रखे हुयें है को मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह हैड कानि 144 से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद समय 03.20 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व में एसीबी को पेश रिश्वत राशि 500 रूपये मूल्य के 10 नोट कुल राशि 5000/–रूपये से फिनोथफिलन पाउडर को भली भांती साफ किया जाकर दोनो स्वतंत्र श्री शंकर लाल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक के समक्ष फर्द सुपूर्दगी मुर्तिब की जाकर दुरूस्त हालात में परिवादी को सुपूर्द किया गया। इसके बाद समय 03:30 पी.एम पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिहं एंव आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव इन्सपेक्टर कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के मध्य दिनांक 20.05.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra-32 GB मे रिकॉर्ड किया गया था, मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड फाईल 230520_1321 मैमोरी 74,815 KB वार्ता को श्री बृजराज सिह हैड कानि0 144 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड सें जर्ये लेपटोप उक्त वार्ता की चार डीवीडी तैयार करवाये गई, जिसमे से एक डीवीडी माननीय न्यायालय के लिये, एक डीवीडी नमूना आवाज के लिये व एक डीवीडी आरोपी के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra-32 GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखाकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द फर्द डबींग वार्ता व जब्ती डी वी डी एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात समय 04:20 पी.एम पर परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह एवं स्वतंत्र गवाहन श्री शंकर लाल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा को रूखसत किया गया ।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह उम्र 48 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा की ग्राम पंचायत बम्बूलिया खुर्द में स्थित उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा जनवरी 2023 में सस्पेन्ड किया गया था, उक्त उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अप्रैल 2023 में बहाल कर दिया था। जिला रसद अधिकारी द्वारा परिवादी की दुकान का लाईसेन्स बहाल करवाने की एवज में कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के श्री कृष्ण कुमार यादव इंस्पेक्टर द्वारा परिवादी से 10,000/—रूपये की मांग कर दिनांक 20.05.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह से 5,000/—रूपये प्राप्त करने व शेष 5,000/—रूपये दिनांक 25.05.2023 को पीपल्दा में लगने वाले शिविर में आने पर लेने की कहना पाया गया है। लेकिन आरोपी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार को ट्रेप कार्यवाही का शक हो जाने से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री माडूराम जाति यादव उम्र 29 निवासी कानपुरा पोस्ट खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना प्रथम दृष्टया पाया गया है।

अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय

(देशराज)

पुलिस निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री माडूराम यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 315/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.12.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3196-99 दिनांक 29.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त खाध आयुक्त, खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।